

प्रथम बार के सय अभियान 2021

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पंचायत समिति धरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

हमीदा

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत ... अर्जि दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 89

मुकदमा नम्बर :- 135/2022

निर्णय दिनांक :- 15-06-22

वादी की ओर से वादि स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी स्वीकार

किया जाकर शही ग्राम बालरास द्वापुणा खाता सं. 87 खं. नं. 123, 628/45, 629/45 की जमाबंदी में अंकित विवाद पुजी भागीरथ के स्थान पर हमीदा पुजी भागीरथ किये जाने की घोषणा की जाती है। वादि के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दुरु होने की स्थिति में पूर्व नाम मान्य होगा। तहसीलदार चूरु उस्तादसर राजस्थान अभिलेख में अमल इराद कोट।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( सत्यनारायण )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

## वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

